कार्यालय नगर निगम, अजमेर

-:: पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राज.) ::-

क्रमांक : आर.ओ.(ओ.आर.)/425

दिनांक : 30/6/17

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, अजमेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि से 2021–22 (01.08.2017 से 31.03.2022) तक की अवधि के लिए रेल्वे स्टेशन के बाहर बने फुट ओवर ब्रिज पर 60X8 फुट पर विज्ञापन करने के लिए निम्नांकित दिनाक को समय 11:00 बजें से 1:30 बजें तक अमानत राशि जमा कराकर खुली निलामी बोली लगाई जावेगी जो कि :–

क्र. स.	विज्ञापन करने का नाम	अमानत राशि	सरकारी बोली	नीलामी दिनांक
1	रेल्वे स्टेशन के बाहर बने फुट ओवर ब्रिज पर 60X8 फुट पर विज्ञापन	1,00,000	13,23,000 वार्षिक	18.07.2017

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दिनांक व समय पर नगर निगम की अन्यकर शाखा मे उपस्थित होकर अमानत राशि जमा कराकर बोली में भाग ले सकते है। शर्ते व अन्य की जानकारी हेतु निगम कार्यालय दिवस व समय पर उपस्थित होकर राजस्व अन्यकर शाखा से एंव निगम की वेबसाईट www.Ajmermc.org पर एवं State public Procurement Portal पर भी सूचना उपलब्ध है।

प्रमुख शर्ते :–

1. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
2. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर में निहित होगा।
3. बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।

8. NIB CODE :– ANN1718A0016
   UBN NO :– ANN1718SLOB00021

राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम अजमेर

उपायुक्त
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

रेल्वे स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज पर वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि से 2021–22 (1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2022) तक की अवधि के लिये विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु नीलामी शर्ते :–

1. यह नीलामी नगर निगम, अजमेर में प्रचलित विज्ञापन उपविधिया 2008 के अधीन की जावेगी तथा उपविधियों व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों को मानने के लिए सफलतम बोलीदाता मानने के लिए बाध्य होगा।
2. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व 1,00,000/– रूपये अमानत राशि नकद /डी.डी. से /चैक से जमा कराई जा सकेगी।
3. सफलतम बोलीदाता को 5 वर्ष की कुल राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी जमा करानी होगी जो किसी भी वित्तीय वर्ष में राशि देरी जमा कराने अथवा शर्तें अवेहलना पाये जाने पर किसी भी प्रकार की कटौती उक्त राशि में से निगम द्वारा की जा सकेगी।
4. सफलतम बोलीदाता को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नगर निगम में कार्यरत नही है।
5. रेल्वे स्टेशन के पास से नया फ्लाई ओवर ब्रिज जो मदार गेट तक है के दोनो ओर जिसकी नाप 60X10 फुट इस विज्ञापन पट्ट पर फर्म/कम्पनी दोनों ओर 60X8 फुट पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करेगी एवं इसके नीचे 60X2 फुट नगर निगम के विज्ञापन हेतु स्थान छोडना होगा।
6. 60X2 फुट का स्थान निगम के विज्ञापनों के लिए व शहर के प्रमुख स्थानों के नाम एवं दूरी निगम एवं यातायात विभाग के निर्देशानुसार करनी होगी।
7. अनुबंध कार्योदेश जारी करने से पूर्व करना होगा।
8. बोली पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये लगाई जावेगी जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि की राशि नियमानुसार जमा करानी होगी एवं प्रत्येक पूर्व वित्तीय वर्ष की राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि से आगामी वित्तीय वर्ष का भुगतान अग्रिम करना होगा। राशि प्रतिवर्ष 1 अप्रेल से पूर्व जमा करानी होगी। नगर निगम की बकाया राशि निर्धारित अवधि में जमा ना होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा एक माह तक का विलम्ब का नियमन 18 प्रतिशत ब्याज से राशि के साथ निगम द्वारा किया जा सकेगा।
9. सफलतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि की राशि 1/4 राशि मौके पर एवं शेष 3/4 राशि बोली स्वीकृत होने की तिथि से 7 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा 7 दिवस पश्चात् अमानत राशि जब्त कर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
10. अश्लील/आपत्ति जनक/नशा/शराब आदि का विज्ञापन प्रदर्शन नही कर सकेंगे ऐसा विज्ञापन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी व ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।
11. चुनाव के समय राजनैतिक पार्टीयों के प्रत्याशी के चुनावी विज्ञापन नगर निगम की बिना सक्षम स्वीकृति के प्रदर्शित नही कर सकेगें।
12. विज्ञापन लगाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर ठेकेदार की जिम्मेदार होगी।
13. ओवरब्रिज का प्रत्येक वर्ष में एक बार रंग कराकर सौन्दर्य बरकरार रखना होगा।
14. केन्द्रीय सेवाकर का भुगतान ठेकेदार को करना होगा तथा चालान की प्रति नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी। केन्द्र व राज्य सरकार के यदि कोई कर देय होते है तो उसका भुगतान सफलतम बोलीदाता को करना होगा।
15. विज्ञापन पट्ट मजबूती से स्थापित करना होगा प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तुफान, आगजनी इत्यादि की स्थिति में विज्ञापन पट्ट गिरने, उडने आदि से राहगीरों, जनता अथवा सरकारी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
16. बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार महापौर/आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को होगा।
17. शर्तो में अंकित अथवा निगम द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक का उपयोग विज्ञापन प्रदर्शन के लिए नही किया जावेगा ऐसा पाये जाने पर ठेका स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
18. सफलतम बोलीदाता को स्वीकृत बोली का 0.25 प्रतिशत की राशि का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध करना होगा।
19. शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लघंन पाये जाने पर विज्ञापन लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
20. नगर निगम स्वयं के कार्य हेतु आवश्यकता होने पर 10 दिन के लिए लगातार साईट अधिग्रहण कर सकेगी।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
22. बोली 500/– रूपये के गुणक में भी लगाई जावेगी।
23. बोली लगाने के बाद अपने प्रस्ताव कभी भी वापस नही ले सकेगा। ना ही परिवर्तन कर सकेगा। अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. सफलतम बोलीदाता के करार ना करने व संतोषजनक कार्य नही करने की स्थिति में जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
25. कार्य कभी भी सबलेट नही किया जावेगा।
26. सफलतम ठेकेदार को ऑटोमेटिक इलैक्ट्रोनिक घडी एवं समाचार पट्टी भी लगानी होगी।
27. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जंहा आवश्यक हो मामान्य वितीय एंव लेखा नियम एंव राज.लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 व राजस्थान नगर पालिका क्रय एंव अनुबंध नियम 1974 के प्रावधान लागू होगे।
28. किसी भी विवाद की स्थिती मे प्रथम अपील अधिकारी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्वायत शासन विभाग अजमेर एंव द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक स्वायत शासन विभाग राज.जयपुर होगे।

29-6

राजस्व अधिकारी (अन्यकर) नगर निगम अजमेर	उपायुक्त नगर निगम अजमेर	आयुक्त नगर निगम, अजमेर